

संख्या 27/11/2012-एस० आर० (एस०)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय,
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, तीसरा तला,
खान मार्किट, नई दिल्ली 110003
दिनांक 17 सितम्बर, 2012

आदेश ०२ /2012

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद् द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 09.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 09.11.2000 से ही अनंतिम रूप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य यथास्थिति, 09.11.2000 से सेवा के लिए अनंतिम रूप से आबन्दित समझा जायेगा।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अनंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अनंतिम आदेश के अधीन होगा।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्दित नहीं समझा जायेगा।

परन्तु संबंधित सेवा/पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका अनंतिम आबंटन उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य के लिए नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001-एस.आर.एस. दिनांक 11.09.2001 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को आबंटित नहीं किए गए हैं, उत्तर प्रदेश को अनंतिम रूप से आबंटित समझे जायेंगे जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।

यह आदेश परामर्शी समिति के दिनांक 10.07.2012 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में निहित संस्तुतियों पर आधारित है।

३८८८८१३१७

(के. पी. के. नंबीशन)

उप (मैनेजर, भारतीय विभाग)

(Deputy Secretary, AMBASSAN)

मैनेजर, विभागीय प्रबन्ध विभाग

(Manager, Deptt. of Personnel & Admin.)

मैनेजर, विभागीय विभाग

संलग्नक: 1. अनुबंध (1 पृष्ठ में) उत्तराखण्ड राज्य में अनंतिम रूप से आबंटित चिकित्सा, शिक्षा एवं आमुमा विभाग, 47, नवीन भवन, लखनऊ ।

- प्रतिलिपि: 1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून ।
3. श्री प्रशान्त त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, लखनऊ ।
4. श्री आर० के० सुधांशु, अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), उत्तराखण्ड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून ।

१०८

AP

विभाग

चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग (आयुर्वेद)

आबृत राज्य

उत्तराखण्ड

क्र.सं.	कार्यिक का नाम	पदनाम	श्रेणी
1	2	3	5
1.	श्रीमती राधिका देवी	सिस्टर	विकल्पधारी
2.	श्रीमती अंजली सेन	सिस्टर	विकल्पधारी
3.	श्रीमती मंजूरानी सिंह	स्टाफ नर्स	विकल्पधारी
4.	कुमारी शकुन्तला वर्मा	स्टाफ नर्स	विकल्पधारी
5.	श्रीमती पूनम सिंह	स्टाफ नर्स	विकल्पधारी

फॉर्म नं. ११६

ABSTRACT TO THE GOVT OF INDIA
02/02/2012
B/219/2011

(के. ए. के. नम्पिसान)
(K. E. K. NAMBISSAN)
दूसरा सचिव / Deputy Secretary
प्रबोधनीक एवं प्रशिक्षण विभाग
Ministry of Personnel & Training
भारत सरकार / Govt. of India